

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संख्या- 1/एम1-138/2005-

10

पटना, दिनांक- 06-01-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) में किये गये प्रावधान के अलाोक में श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता (नागरिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को विभाग के स्तर पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

इस संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश संख्या- 210 सह पठित ज्ञापांक 21 दिनांक 09.04.09 स्वतः विलोपित माना जायेगा।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 1/एम1-138/2005-

10

पटना, दिनांक- 06-01-2010

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता/ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 1/एम1-138/2005-

10

पटना, दिनांक- 06-01-2010

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/ महानिदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, बाल्मी परिसर, फूलवारीशरीफ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 1/एम1-138/2005-

10

पटना, दिनांक- 06-01-2010

प्रतिलिपि- श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता (नागरिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव